न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 32/2026 बउनवानी मुकेश भूप्रेमी बनाम सचिव नगर विकास न्यास स0मा0 एडवोकेट निवासी कलेक्ट्रेट के गेट के पास बजरंगबली फोटो कॉपी के बगल मे कलेक्ट्रेट परिसर

GCMS No-2026/40

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
18.3..2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 29.12.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **ग्राम खेरदा की गैर मुमकिन औद्योगिक भूमि ख0न0 120 को 376/120 एवं 377/120 तथा 89 को नगर विकास न्यास के नाम दर्ज किये जाने को लेकर कुल 8 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचनाओं की प्रति** " सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सू.का.अ./2025/725 दिनांक 18.3.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12..2025 मे चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की होने के कारण सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे सचिव नगर विकास न्यास के पत्रांक 108 दिनांक 14.1.2026 द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 29.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 8 की सूचना तृतीय पक्ष की मानते हुऐ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। किन्तु न्यायहित मे अपीलान्ट को उक्त सूचना मे से भूमि सम्परिवर्तन से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करवाया जाना उचित समझते है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त ख0न0 का आपके कार्यालय द्वारा भू–रूपान्तरण किया गया हो तो उक्त भूमि रूपान्तरण पत्रावली का अपीलान्ट को अवलोकन करवाया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner